बाज़ार आसूचना प्रकोष्ठ को संचालित करने हेतु एपीडा की सुविधा के लिए

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी)

15 फरवरी, 2023

सीपीपी पोर्टल निविदा आईडी: 2023_APEDA_699450_1

आरएफपी दस्तावेज़ जारी करने की तिथि: 15 फरवरी, 2023

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 07 मार्च 2023

एपीडा

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,

अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016

विषय-सूची

1. परिभाषाएं 4
2. प्रस्ताव हेतु अनुरोध - आरएफपी सूचना 4
3. अस्वीकरण 4
4. व्याख्या 4
5. समुचित सावधानी..5
6. बोली लगाने की लागत 5
7. बोली दस्तावेज़ों के स्पष्टीकरण 5
8. आरएफपी दस्तावेज़ों में संशोधन 5
9. बोली की भाषा 6
10. स्थल निरीक्षण 6
11. सामान्य दिशा-निर्देश 6
12. बोलीदाता के पात्रता के मानदंड 7
13. बोलियों का मूल्यांकन 9
14. तकनीकी मूल्यांकन मानदंड 10
15. बोली मूल्य 11
16. बोलियों की वैधता अवधि 11
17. संदर्भ की शर्तें 12
18. तकनीकी बोली आवश्यकताएं 18
19. वाणिज्यिक बोली आवश्यकताएं 18
20. कार्य-निष्पादन गारंटी 20
21. कॉपीराइट और ट्रेडमार्क 20
22. महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं भुगतान की शर्तें 20
23. अनुबंध निर्णय 20
24. पुरस्कृत अनुबंध की अधिसूचना 20
25. समझौते पर हस्ताक्षर 20
26. अनुबंध हेतु व्यय 20

27. अनुबंध का पालन करने में विफलता 20
28. अनुबंध की समाप्ति 20
29. शासी कानून 20
30. तकनीकी लिफाफा 1 की सामग्री (तकनीकी बोली) 20
31. बोली का प्रमाणीकरण 21
32. बोली में अंतरविरोधों की मान्यता 21
33. बोली की मुहरबंदी और अंकन 21
34. बोली को प्रस्तुत करने का पता 21
35. बोली की अस्वीकृति 21
36. विलंबित बोली 22
37. मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गईं बोलियां 22
38. वाणिज्यिक बोलियों का आरंभ 22
39. बोलियों का स्पष्टीकरण 22
40. बोलियों की पूर्णता 22
41. त्रुटियों का सुधार..22
42. अप्रत्याशित घटना 23
43. विवादों का समाधान 23

1. **परिभाषाएं:**

“लागू कानून” से तात्पर्य है वे सभी प्रासंगिक कानून जो नियत तिथि से लागू होंगे और जिन्हें भारत में लागू किया जा सकता है या उसके प्रभाव में लाया जा सकता है और इस आरएफपी दस्तावेज़ के निर्वाह के दौरान निर्णय , फरमान, निषेधाज्ञा, न्यायालय के आदेश या आदेश के आने के पश्चात् लागू किया जा सकता है या प्रभाव में लाया जा सकता है।

“बोली दस्तावेज़” से तात्पर्य इस आरपीएफ दस्तावेज़ और उसके बाद बोली पूर्व बैठक में निर्धारित नियमों और शर्तों को समझने और सहमति देने के लिए बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ है।

"संविदा" का अर्थ एपीडा और सफल बोलीदाता के बीच किया जाने वाला समझौता होगा।

“मूल्यांकन समिति” से तात्पर्य एपीडा द्वारा गठित समिति।

एपीडा: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

2. **प्रस्ताव हेतु अनुरोध - आरएफपी सूचना**

एपीडा इस आरएफपी को धारा 12 के अनुसार योग्य परामर्श फर्मों से वंछित सेवाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए परिचालित कर रहा है।

आरएफपी दस्तावेज़ गैर-हस्तांतरणीय है।

3. **अस्वीकरण**

एपीडा इस आरएफपी दस्तावेज़ में निहित जानकारी की सटीकता , प्रामाणिकता, समयबद्धता और/या पूर्णता के रूप में व्यक्त या निहित किसी भी प्रतिनिधित्व या निहित नहीं करता है। इसीलिए, प्रत्येक बोलीदाता अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करें और इस आरएफपी

दस्तावेज़ में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करें।

एपीडा किसी भी प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करता है , चाहें वह किसी भी बोलीदाता की लापरवाही से हुई हो या अन्यथा इस आरएफपी दस्तावेज़ में दिए गए कथनों पर निर्भरता से उत्पन्न हुई हो। इस दस्तावेज़ में निहित अद्यतन, संशोधन या पूरक , सूचना, मूल्यांकन या मान्यताओं के अंतर्गत किसी भी दायित्व में आए बिना एपीडा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में हो सकता है। इस आरएफपी दस्तावेज़ के अंतर्गत एपीडा किसी बोलीदाता का चयन करने के लिए बाध्य नहीं है और एपीडा कोई भी कारण बताए बिना सभी बोलीदाताओं या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. व्याख्या

इस आरएफपी दस्तावेज़ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

क) इस आरएफपी दस्तावेज़ के उद्देश्य के लिए , जहां संदर्भ स्वीकृत है , एकवचन को बहुवचन और इसके विपरीत को शामिल करने के लिए समझा जाएगा और पुरुष-लिंग को स्त्री लिंग और इसके विपरीत को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।

ख) परिच्छेदों, व्याख्यानों या अनुसूचियों के संदर्भ अनुबंध और आरएफपी दस्तावेज़ के परिच्छेद और व्याख्यान के संदर्भ हैं। अनुसूचियों , संलग्नक और परिशिष्ट इस अनुबंध का अभिन्न हिस्सा होंगे।

ग) शीर्षकों और उप-शीर्षकों को केवल सुविधा के लिए डाला जाता है और इससे आरएफपी दस्तावेज़ का निर्माण और व्याख्या प्रभावित नहीं होंगे। शब्द “शामिल” और “सहित” आ संदर्भ सीमा के बिना माना जाएगा। दिन का कोई भी संदर्भ शनिवार और रविवार सहित एक कैलेंडर दिन का संदर्भ होगा।

5. समुचित सावधानी

बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस आरएफपी दस्तावेज़ में सभी निर्देशों , प्रपत्रों और विशेषताओं की जांच करें। आरएफपी दस्तावेज़ की आवश्यकता के अनुसार बोली सटीक, पूर्ण और निर्धारित प्रारूप में हो। आरएफपी दस्तावेज़ की आवश्यकतानुसार सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल होने पर या हर मामले में आरएफपी दस्तावेज़ के अनुसार अप्रभावी बोली के प्रस्तुत करने का जोखिम बोलीदाता का होगा और इससे बोली की अस्वीकृति की जा सकती है। एपीडा अपने विवेक से बोलीदाता द्वारा दी गई सूचना की उपयुक्तता/पर्याप्तता का निर्धारण करने का हकदार होगा।

6. बोली लगाने की लागत

बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा और एपीडा किसी भी घटना या परिस्थिति में बोली प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

7. बोली दस्तावेज़ों के स्पष्टीकरण

एपीडा द्वारा आरएफपी दस्तावेज़ के स्पष्टीकरण के लिए किसी भी अनुरोध का जवाब देने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जाएगा , ऐसा अनुरोध लिखित रुप में किया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रिया / स्पष्टीकरण लिखित रुप में संभव हो सकती है। एपीडा किसी भी देरी सहित किसी भी डाक देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

8. आरएफपी दस्तावेज़ का संशोधन

बोली प्रस्तुत करने के समय सीमा से पहले किसी भी समय , एपीडा द्वारा किसी भी कारण से , चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी भावी बोलीदाता द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण के जवाब में हो, संशोधन, बदलाव और/या उसी को पूरक करके आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन किया जा सकता है।

बोली प्रस्तुत करने से पहले सभी परिवर्तनों को ई-मेल के माध्यम से भावी बोलीदाताओं को सूचित किया जाए। इस तरह के सभी संशोधन एपीडा की ओर से किसी और अधिनियम या विलेख के बिना उन पर बाध्यकारी होंगे।

किसी भी संशोधन की स्थिति में , एपीडा अपनी बोली तैयार करते समय संभावित बोलीदाताओं को उचित समय देने के लिए बोली को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. बोली की भाषा

बोलीदाता द्वारा तैयार बोली, साथ ही साथ आरएफपी दस्तावेज़ और / या बोलीदाता और एपीडा द्वारा बोली प्रक्रिया से संबंधित विनिमय किए गए सभी पत्राचार और दस्तावेज़ केवल अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे।

10. स्थल निरीक्षण

बोलीदाता अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवश्यक विवरण एकत्र करने के लिए एपीडा मुख्यालय का दौरा कर सकता है। बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज़ों के किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि या उससे पूर्व विशिष्ट लिखित पूछताछ (ई-मेल आई.डी - harpreet@apeda.gov.in पर) प्रस्तुत की जाए। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा बोलीदाता संगठन से अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को स्थल निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

11. सामान्य दिशा-निर्देश

I. बोलीदाताओं से अनुरोध है की आरएफपी दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें।

II. बोलीदाता द्वारा बोली के एक भाग के रूप में निविदा दस्तावेज़ विधिवत रूप से सील/मुद्रित और उसके प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जाए। यह बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए कि उसने आरएफपी दस्तावेज़

और अन्य दस्तावेज़ों/आवश्यकताओं को पढ़ एवं समझ लिया है तथा वह उसका पालन करेगा।

III. अधूरी जानकारी / दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत की गई बोलियों को अस्वीकृत किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में दिए गए नियमों , शर्तों, विशिष्टताओं और अन्य विवरणों का पालन नहीं करने वाली बोलियों को सरसरे तौर पर खारिज कर दिया जा सकता है।

IV. आरएफपी दस्तावेज़ के नियम , शर्तों और अन्य विवरणों से सभी विचलन अलग और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाएं।

V. प्रस्तुति के पश्चात् परिवर्तन या ऑफर की वापसी की अनुमति नहीं है । ऑफर की जांच, मूल्यांकन या तुलना करने के लिए एपीडा अपने विवेक से कुछ या सभी बोलीदाताओं से उनके प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकता है।

VI. इस प्रकार के स्पष्टीकरण के निवेदन और उसकी प्रतिक्रिया को आवश्यक रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।

VII. आरंभिक जांच: एपीडा द्वारा निर्धारित करने के लिए ऑफर की छानबीन की जाएगी कि - क्या वे पूर्ण हैं , क्या ऑफर में कोई त्रुटि तो नहीं है , क्या आवश्यक तकनीकी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं , क्या दस्तावेज़ों में ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या उत्पाद, अनुसूची के अनुसार उद्धृत किए गए हैं। एपीडा अपने विवेक से किसी भी मामूली गैर-अनुरूपता या छोटी मोटी अनियमितता को एक प्रस्ताव में माफ कर सकता है। यह बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा और एपीडा ऐसी छुटों का अधिकार सुरक्षित रखता है।

VIII. पुरस्कृत किए जाने वाले अनुबंध का मापदण्ड: लिफाफा 1 में तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन सबसे पहले यह देखने के लिए किया जाएगा कि क्या आरएफपी

दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और उन्हें तकनीकी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा। चयन तकनीकी और वित्तीय मानदंड दोनों पर आधारित होगा जिसमें संबंधित भार तकनीकी प्रस्ताव के लिए 70% और वित्तीय प्रस्ताव के लिए 30% होगा।

IX. आरएफपी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट निय म और शर्तों का पालन किया जाए। यदि बोलीदाता सशर्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो वे एकमुश्त अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे।

X. एपीडा के पास आरएफपी के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार है।

XI. उन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें किसी तरह की कांट-छांट की गई हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा जाए। दी जा रही सेवा की सही तकनीकी जानकारी भरी जाए।

XII. जानकारी भरते समय “ओके” , ”स्वीकृत” , “नोट कर लिया” , “जैसा कि विवरणिका/नियमावली में दिया गया है” जैसे शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

XIII. एपीडा द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।

XIV. बोलीदाता द्वारा एक सहायक के साथ एक सहायता संघ बनाया जा सकता है जिसे आरएफपी के अंतर्गत गैर-मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए उपपट्टा दिया जाएगा। हालांकि, प्रदेय का सारा उत्तरदायित्व प्राथमिक बोलीदाता का होगा।

12. बोलीदाता के पात्रता के मानदंड

बाज़ार अनुसंधान में शामिल इच्छुक परामर्श फर्म एपीडा को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। रूचि प्रकटन को प्रस्तुत करने वाली इन एजेंसियों की अपेक्षित न्यूनतम योग्यता निम्नलिखित है:

क्र.सं.	पात्रता मानदंड	आवश्यक सहायक दस्तावेज़	हां/नहीं
1	बोलीदाता एक प्रतिष्ठित परामर्श फर्म होगा जो विश्व स्तर पर निर्धारित बाजारों में सूचना स्रोतों (ऑथेंटिक) तक पहुंच के साथ बाज़ार आसूचना के विकास में कार्य कर रहा हो।		
1.1	आवेदक भारत में संबंधित कृत्यों के अंतर्गत कंपनी, फर्म या सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक एकल इकाई हो और भारत में पिछले सात वर्षों से अस्तित्व में हो।	आरओसी से कंपनी निगमन प्रमाण-पत्र या पंजीकरण प्रमाणन	
1.2	एजेंसी भारत में उचित कर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंजीकृत हों।	• सेवा कर पंजीकरण • वैट पंजीकरण • पैन कार्ड	
2	बोलीदाता के पास समान परामर्श क्षेत्र में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-20 , 2020-21 और 2021-22) के दौरान प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 3.00 करोड़ रुपए (तीन करोड़ रुपए) के न्यूनतम औसत टर्नओवर हो।	• संगठन के सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र। • उल्लिखित वर्षों के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र।	
3	कंसल्टिंग फर्म द्वारा भारत में या विदेशों में खाद्य और कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में एक समान रूप में कार्य किया जाए।	कार्य आदेश प्रतिलिपि की आवश्यकता	
4	फर्म के लेखा परीक्षक से एक प्रमाण-पत्र	• संगठन के सनदी लेखाकार	

	को आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षित शेष राशि के साथ प्रस्तुत किया जाए।	से प्राप्त प्रमाण-पत्र। • उल्लिखित वर्षों के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र।	
5	बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली प्रस्ताव के साथ "एपीडा, नई दिल्ली" के पक्ष में मांग ड्रॉफ्ट के रूप में 1 ,00,000 रूपए (एक लाख रूपए मात्र) की ब्याना जमा राशि भी प्रस्तुत की जाए। ये बोली के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 90 दिनों तक मान्य होगी। इसे सफल बोलीदाता मिलने के परिणाम के बाद वापिस कर दिया जाएगा।	नई दिल्ली स्थित "एपीडा" के पक्ष में मांग ड्रॉफ्ट	
6	परामर्श फर्म द्वारा पिछले पांच वर्षों के लिए अपने बल पर जेनरेटिंग क्षेत्रों में संचालन और बाज़ार आसूचना प्रकाशित किए गए हो।	कार्य आदेश प्राप्ति की आवश्यकता।	
7	परामर्श फर्म द्वारा भारत या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में समान क्षेत्र में समान कार्य निष्पादित निष्पादित किया जाए।	कार्य आदेश प्राप्ति की आवश्यकता।	
8	निर्यात संवर्धन में शामिल भारतीय सरकारी संगठनों के लिए समान कार्य करने वाली एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	कार्य आदेश प्राप्ति की आवश्यकता।	

13. बोली का मूल्यांकन

I. निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) तकनीकी बिड्स का विस्तृत मूल्यांकन करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनुरोध के प्रस्ताव में आगे की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं।

II. टीईसी शार्टलिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी प्रज़ेंटेशन के बाद तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। तकनीकी मूल्यांकन समाप्त होने और सक्षम प्राधिकारी

द्वारा संस्तुति करने तक तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय टीईसी को वाणिज्यिक प्रस्तावों तक कोई पहुंच नहीं होगी। तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा और इस स्तर पर वाणिज्यिक बोली (प्रस्ताव) खुला नहीं रहेगा। वे बोलीदाता जिनके तकनीकी प्रस्ताव आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार पाए जाते हैं, उन्हें तकनीकी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा।

III. तकनीकी प्रज़ेंटेशन: समिति द्वारा आरएफपी दस्तावेज़ में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन हेतु एक प्रज़ेंटेशन बनाने के लिए प्रत्येक बोलीदाता को आमंत्रित किया जाएगा।

IV. व्यवसायिक प्रस्ताव एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर उन फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे जिन्हें भाग लेने के लिए चुना गया है।

V. मूल्यांकन मानदंड में तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों में क्रमश: 70:30 अंको का अनुपात होगा। बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (सीक्यूसीसीबीएस) का अनुसरण किया जाएगा।

क) तकनीकी अनुपात (St): तकनीकी मूल्यांकन में बोलीदाता द्वारा प्राप्त अंको की गणना नीचे दिए गए 70 अंकों द्वारा की जाएगी।

I. **St = T*0.70** जहां T का अर्थ है तकनीकी मूल्यांकन मानदंड के आधार पर बोलीदाता द्वारा अर्जित किए गए तकनीकी अंक

ख) वित्तीय अनुपात (Sf): वित्तीय मूल्यांकन में बोलीदाता द्वारा अर्जित किए गए अंको की गणना नीचे दिए गए 30 अंको द्वारा की जाएगी।

ग) अन्य प्रस्तावों के सभी व्यवसायिक अंको को निर्धारित किया जाएगा:

I. **Sf = 0.30* Fm/F** (Fm =न्यूनतम मूल्यांकित निविदा लागत , F = विचाराधीन वाणिज्यिक प्रस्ताव का मूल्य)

घ) अंतिम चयन: प्रस्तावों को सम्मिलित तकनीकी (St) और व्यवसायिक (Sf) अंको के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा। सम्मिलित तकनीकी और व्यवसायिक अंक की गणना **S = St + Sf** के आधार पर की जाएगी। अधिकतम सम्मिलित तकनीकी

और व्यवसायिक अंक अर्जित करने वाले फर्म को तोल-मोल के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

VI. व्यवसायिक बोली के अतिरिक्त बोली के अन्य भाग के मूल्यों को उल्लेख नहीं किया जाएगा।

VII. व्यवसायिक बोली में यदि अंको में लिखे मूल्य और शब्दों में लिखे मूल्य में किसी प्रकार की असंगति/अंतर है तो शब्दों में लिखे हुए मूल्य को सही माना जाएगा।

VIII. पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोलियां: एक पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोली वह है जो प्रस्ताव के लिए अनुरोध की सभी आवश्यकताओं , नियम, शर्तों और विशिष्टताओं के अनुरूप है

IX. बोलीदाता द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास से बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

14. तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

बिडिंग की प्रक्रिया दो-स्तरीय प्रक्रिया होगी । तकनीकी बोली के विस्तृत मूल्यांकन से पहले , एपीडा यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक बोली क्या:

क) सभी प्रकार से पूर्ण है।
ख) आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों के साथ और
ग) आरएफपी दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी है।

तकनीकी मूल्यांकन मानदंड को मोटे तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

क्र.सं.	**मूल्यांकन मानदंड**	**अधिकतम अंक**
1	सरकारी या निजी डोमेन में समान सेवाएं प्रदान करने में परामर्श फर्म का अनुभव। समान प्रकृति के 2 से अधिक प्रोजेक्ट्स - 20 अंक	**20**

	समान प्रकृति के 1 से अधिक प्रोजेक्ट्स - 10 अंक	
	1 उपयोगकर्ताओं के लिए 10 प्रौद्योगिकी फ्रंट एंड बनाने और बनाए रखने का अनुभव। समान प्रकृति का प्रोजेक्ट - 5 अंक	**5**
2	एपीडा के उद्देश्य की समझ	15
3	प्रस्तावित कार्यप्रणाली और निष्पादन योजना	20
4	प्रस्तावित बैकएंड टीम अनुभव और विशेषज्ञता (केवल वे जो पूर्णकालिक कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट हेतु बोलीदाता द्वारा साझा किया जाए)	20
5	प्रस्तावित टीम का संक्षिप्त विवरण	20
कुल		**100**

- **अधिकतम 100 अंक अर्जित किए जा सकते हैं। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों में 60 अंकों से अधिक / बराबर स्कोर करती हैं।**

- **तकनीकी बोली में सभी सहायक दस्तावेज़ों (कार्य आदेशों/प्रमाण पत्रों) को संलग्न किया जाए।**

यदि आवश्यक समझा जाए , तो एपीडा द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के लिए मापदंड सहित तकनीकी मूल्यांकन के लिए कट ऑफ अंक में आवश्यक बदलाव किया जा सकता है।

निविदा मूल्यांकन आयोग: एपीडा द्वारा निविदा मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज़ों का मूल्यांकन करेगी।

निविदा मूल्यांकन आयोग किसी भी या सभी बोलीदाताओं के साथ तकनीकी मोल-तोल करने का विकल्प चुन सकता है। तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन में मूल्यांकन समिति का निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बोली या अवार्ड निर्णयों की निविदा मूल्यांकन समिति के प्रसंस्करण को प्रभावित करने के लिए एक बोलीदाता के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

आरएफपी/अनुबंध के नियम एवं शर्तों के साथ सहमत ना हो पाने पर बोलीदाता को दिया जाने वाले अनुबंध की असफलता की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी जिससे अगले सबसे उत्तरदायी बोलीदाता को अनुबंध दिया जा सकता है।

15.बोली का मूल्य

इस आरएफपी दस्तावेज़ में संलग्न बोली प्रारूप में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए मूल्य अर्थात् प्रस्ताव को बोलीदाता द्वारा किया जाए। वित्तीय प्रस्ताव इस दस्तावेज़ और साइट की शर्तों के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है।
बोलीदाता द्वारा कार्य के सफल समापन के लिए आवश्यक उन सभी प्रकार के बकाया जैसे कर और अन्य सांविधिक बकाया के भुगतान शामिल किए जाएं जिन्हें विशेष रूप से विनिर्देश में उल्लेख नहीं किया गया। बोलीदाता ऐसे भुगतानों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि बोली दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया गया है , अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान केवल बोली लगाने वाले द्वारा किया जाएगा।
सभी दायित्व, जो भी कॉपी राइट या किसी अन्य कारण से दिए गए हैं उनका बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
कोई भी रॉयल्टी या पेटेंट या सामग्री , चित्र, सॉफ्टवेयर आदि के उपयोग के लिए शुल्क जिसे अनुबंध में शामिल किया जा सकता है उसका एपीडा द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा।
बोलीदाता केवल एपीडा पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना ऐसे दावों के लिए भुगतान करेगा।

16. बोली की मान्यता अवधि

मान्यता अवधि: एपीडा द्वारा निर्धारित बोली खुलने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए मान्य रहेगी। एपीडा बिना किसी पत्राचार के 180 दिनों से कम की अवधि के लिए मान्य बोली को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

मान्यता की अवधि का विस्तार: असाधारण परिस्थितियों में , एपीडा बोलीदाता की मान्यता की अवधि के विस्तार के लिए सहमति दे सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रिया उपचार लिखित रूप में किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा मान्यता अवधि का विस्तार बिना किसी शर्त होगा।

मान्यता के लिए स्वीकृत बोलीदाता को उसकी तकनीकी या वाणिज्यिक बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. संदर्भ की शर्तें

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत निर्यात संवर्धन संगठन है। इसे अपने अनुसूचित उत्पादों के संवर्धन एवं विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कृपया अधिक जानकारी के लिए एपीडा की वेबसाइट (www.apeda.gov.in) पर जाएं।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक निर्यात के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की संभावनाओं की खोज करने का उद्देश्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एपीडा द्वारा वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 30 बिलियन अमरीकी डॉलर के मौजूदा मूल्य से बढ़ाकर 60 बिलियन अमरीकी डॉलर करने का आदेश दिया गया है। इस तथ्य की सराहना करते हुए कि भारत विश्व के अधिकांश कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन इसके बावजूद , वैश्विक निर्यात में इसका स्थान संतोषजनक नहीं रहा है। इस अंतर की प्रमुख चुनौतियों में से एक कृषि मूल्य श्रृंखला में इससे जुड़े लोगों के बीच बाज़ार की उन जानकारी का अभाव है जो इन हितधारकों को लाभांवित करने के लिए निर्यातक, व्यापारी और नीति निर्माताओं को सहायता करें और कृषि आयात/खपत करने वाले देशों मे उभर रहे अवसरों का समय पर लाभ उठा सकें।

इस पृष्ठभूमि पर एपीडा का लक्ष्य एक गतिशील बाज़ार आसूचना सेल (एमआईसी) बनाना है जो एपीडा को निर्यात ब्याज की कृषि वस्तुओं के निर्यात के अवसरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मापदंडों पर रियल टाइम इवेंट्स को कैप्चर करेगा। एमआईसी के संचालन की सुविधा के लिए अनुभवी परामर्श फर्मों (यहं परामर्श फर्म के रूप में संदर्भित) से प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है।

17.1 कार्य क्षेत्र

व्यापक रूप से परामर्श फर्म को एपीडा के लिए बाज़ार आसूचना सेल की स्थापना करने में सहायता करने की आवश्यकता होती है जिससे अपने अनुभवी कार्मिकों एवं उनके सूचना नेटवर्क (केवल प्रामाणिक स्रोतों से) के संयोजन का उपयोग करके , नियमित आधार पर निम्नलिखित विश्लेषणात्मक जानकारी/रिपोर्ट वितरित की जा सके और एपीडा उत्पादों के बाज़ार आसूचना पर

कार्यवाई करने वाले दो संसाधनों की एक ऑनसाइट टीम को तैयार करें , एक साप्ताहिक बुलेटिन और नियमित बाज़ार आसूचना तैयार करें:

क.एपीडा के हितधारकों के लिए क्रियाशील इनपुट प्रदान करने वाली गतिशील जानकारी

यह आवश्यकता परामर्शदाता फर्म को किसी भी इवेंट को कैप्चर और रिपोर्ट करने की मांग करती है जो निर्धारित बाज़ारों में निर्यात के अवसरों पर प्रभाव डालती है।

क) उपभोक्ता देशों में मौसमी/ जलवायु परिवर्तन/ प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप निर्धारित फसल के स्थानीय उत्पादन में गिरावट और मांग में अचानक उछाल आता है

ख) आयातक देश में सामाजिक राजनीतिक स्थिति

ग)एसपीएस आवश्यकताओं में परिवर्तन

घ)एमएफएन टैरिफ संरचनाओं में परिवर्तन

ङ) उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन

च)व्यापार समझौतों के ज़रिए उभरते हुए अवसर

छ) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

ज) और कोई अन्य कारक जो उपभोग करने वाले देशों में मांग को प्रभावित करे

झ) अन्य प्रासंगिक जानकारी।

ख.डिलवरी प्लेटफॉर्म: डैशबोर्ड

रिपोर्ट के अलावा, निविदा में एक उपयोगकर्ता अनुकूल डैशबोर्ड भी प्रदान किया जाए जो एपीडा और इसके विभिन्न हितधारकों को नियंत्रित पहुंच प्रदान करे। डैशबोर्ड में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:-

1. मौसमी और गैर मौसमी फसलों की अपडेट से संबंधित सभी प्रमुख कृषि फसलों के लिए गतिशील सूचना
2. वैश्विक फसल उत्पादन जानकारी: रुचि की सभी प्रमुख कृषि फसलों की

3. डैशबोर्ड द्वारा प्रदर्शित होने वाले विभिन्न चरों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक और ग्राफ़ के साथ रिपोर्टिंग सुविधाएँ प्रदान की जाएं।
4. डेटा को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड किया जाए।
5. आवश्यकतानुसार सभी रिपोर्ट समय-समय पर उपयुक्त अनुभाग के अंतर्गत डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएं।
6. दैनिक बाजार मूल्य / आगमन
    - विदेशी मुद्रा की कीमतें
    - वैश्विक वस्तुओं की विनिमय कीमतें

डैशबोर्ड, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज़ेबल हो अर्थात यदि कोई केवल किसी विशेष फसल को देखने के लिए इच्छुक है तो उसे डैशबोर्ड उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कस्टमाइज़ सक्षम हो।

ग. विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

पारंपरिक और मौजूदा निर्यात बाज़ारों में कृषि निर्यात को बढ़ाने एवं नए और उभरते बाज़ारों की खोज पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना

क. आपूर्ति पक्ष के कारक (घरेलू)

i. चयनित उत्पादों के लिए पूरे भारत में उत्पादन क्षेत्रों का खाका बनाना।
ii. क्षेत्रों में निर्धारित उत्पाद के लिए विशिष्ट किस्म
iii. इन उत्पादों की विविधिता के बारे में जानने और उपभोग करने वाले देशों में अंतिम उपयोग के साथ प्रतिचित्रण
iv. घरेलू मापदंडों के साथ आयातक देशों के एसपीएस मानकों की मैपिंग (प्रतिचित्रण)
v. निर्यात हेतु उत्पादों के मौसम और आपूर्ति के पोषण की मैपिंग (प्रतिचित्रण)
vi. पूरे भारत में कृषि कमोडिटी की कीमतों की मैपिंग (प्रतिचित्रण)

ख. मांग पक्ष के कारक (अंतर्राष्ट्रीय)

i. सूचीबद्ध उत्पाद के लिए सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों के साथ देशों को खोजना;
ii. यह निर्धारित करना कि कौन से विदेशी बाज़ार सबसे अधिक प्रवेशनीय एवं लाभदायक होंगे;
iii. सही उत्पाद-बाज़ार मिश्रण और बाद के मूल्यांकन की पहचान करना;
iv. प्रत्येक देश की आयात शुल्क संरचना और गैर-टैरिफ बाधाएं
v. इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार समझौतों ओ निर्धारित करना
vi. मौजुदा और उभरते टीआरए के माध्यम से उभरते अवसरों की खोज करना
vii. उपभोक्ता देशों को निर्धारित करने में उपभोक्ताओं का प्रतिचित्रण
viii. क्लस्टरों में निर्यात संवर्धन उपायों को शामिल करना।
ix. विदेश व्यापार नीति और संबंधित योजनाओं के आधार पर सरकारी सहायता
x. उत्पाद अनुपालन और मानक
xi. बाज़ार प्रवेश कार्यनीति
xii. पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्किंग और अभिज्ञान विनिर्देश

उपरोक्त प्रदेय उत्पादों को निम्नलिखित तरीके से उत्पादित किया जाएगा:

1. एपीडा परामर्श फर्म द्वारा अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कृषि वस्तुओं / उत्पादों और वैश्विक देशों की एक सूची प्रदान करेगा। परामर्श फर्म को अंतिम रूप दी गई वस्तुओं की सूची पर इनपुट प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इन उत्पादों में से प्रत्येक के लिए , परामर्श फर्म सभी कृषि और एपीडा उत्पादों के बाजार गोपनीयता पर कार्रवाई योग्य इनपुट उत्पन्न करने के लिए दिन-प्रतिदिन के काम में एपीडा की सहायता करेगी , साप्ताहिक बुलेटिन और नियमित बाजार गोपनीयता रिपोर्ट तैयार करेगी।

परामर्श फर्म को रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है , जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल होते हैं।

- वैश्विक संदर्भ और परिप्रेएक्ष्य: व्यापार (अंतर्राष्ट्रीय) को प्रभावित करने वाले मांग पक्ष कारक ; व्यापार (घरेलू) को प्रभावित करने वाले आपूर्ति पक्ष के कारक ; वैश्विक व्यापार स्थिति।

- स्थानीय संदर्भ: लक्षित देश की आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत से उत्पादों के लिए संभावित बाज़ार निवेश की विस्तृत समझ ; देश में निर्धारित उत्पाद क्षेत्र ; व्यापार नीति , कानूनी एवं विनिमायक परिवेश , वर्तमना विकास और परिवर्तन। निर्धारित उत्पाद क्षेत्र के संबंध में बाज़ार में प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण कारक।

- बाज़ार अध्ययन: ऐतिहासिक बाज़ार प्रचलन सहित लक्षित बाज़ार में निर्धारित उत्पादों के लिए बाज़ार आकार और खंडों / उपखंडों का अध्ययन; उद्योग SWOT विश्लेषण; विकास दर, विश्लेषणात्मक के पूर्ण सेट के साथ पैटर्न में परिवर्तन और व्यावहारिक दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए बाज़ार मूल्यांकन प्रदान किया जाएगा।

  क. निर्धारित उत्पादों, लक्षित देश में उत्पादों की मांग आपूर्ति परिदृश्य

  ख. उत्पादन एवं उपभोग आंकड़ें

  ग. इकाई मूल्य, खुदरा मूल्य और मार्जिन

  घ. आयात की मात्रा (उत्पाद वार)

  ङ. मूल्य निर्धारण सूचना और स्रोत

  च. व्यापार और वितरण चैनल सहित बी2बी , बी2सी , थोक व्यापारी , खुदरा विक्रेता और विकासशील देशों आदि से आयात का विश्लेषण।

  छ. प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, प्रमुख प्लेयर

ज. कोई अन्य

- उपभोक्ता परिज्ञान: उपभोक्ता लाइफस्टाइल और ज़रूरतें ; आय प्रोफाइल; प्रयोज्य आय; व्यय प्रकार और अन्य महत्वपूर्ण मानदण्ड जैसे क्रय व्यवहार , क्रय प्रकार, जनसांख्यिकीय कारक,

- भारत बनाम लक्षित बाज़ार: एचएस कोड के आधार पर एक जैसे अन्य प्रतियोगियों के प्रतिकूल लक्षित देश के लिए भारत से निर्धारित उत्पादों का विश्लेषण।

क. प्रमुख उत्पाद (उत्पाद श्रेणी) मूल्य और मात्रावार

ख. प्रमुख आपूर्ति करने वाले देशों एवं भारत की स्थिति और उसका विश्लेषण

ग. संकेतक इकाई-मूल्य विश्लेषण

घ. लागू कर/ अतिरिक्त कर वसूल करना

ङ. भारत के साथ हस्ताक्षरित व्यापार समझौते का विश्लेषण

च. भारत से अरिजनेट होने वाले माल के लिए लागू टैरिफ संरचना।

छ. भारत और प्रमुख प्रतियोगी के साथ हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों का विश्लेषण। अब तक हस्ताक्षरित समझौतों के विस्तृत पक्ष और विपक्ष और पहचाने गए कृषि उत्पाद क्षेत्र के लाभ के लिए परिवर्तनों का सुझाव दिया।

ज. निम्नलिखित सहित लक्षित देश में उद्योग के नियमों, व्यापार आवश्यकताओं, बाधाओं, लाइसेंस मंजूरी, अनुमति, लागू कर्तव्यों का अध्ययन और विश्लेषण करें:

i. पैकेजिंग और लेबलिंग की आवश्यकताओं पर विशेष बल

ii. अनिवार्य प्रमाण-पत्र और परीक्षण नियम

iii. अन्य देशों के साथ लक्षित देश के व्यापार समझौतों सहित समझौते की प्रकृति, एच.एस.कोड विनिमय

iv. सैनेटरी और फाइटोसैनिटेरी (एसपीएस) उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), यदि कोई हो

v. भारत बनाम प्रतियोगी प्रदर्शन अध्ययन।

- कारक एवं सीमाएं: लक्षित देश में लागू प्रमुख उद्योग नियमों , व्यापार आवश्यकताओं, बाधाओं, लाइसेंस मंजूरी , परमिट, सीमा शुल्क और कर्तव्यों का विश्लेषण करें:

  क) पैकेजिंग और लेबलिंग की आवश्यकताओं पर विशेष बल।

  ख) अनिवार्य प्रमाणीकरण और परीक्षण अधिनियम।

  ग) अन्य देशों के साथ लक्षित देश के व्यापार समझौतों सहित समझौते की प्रकृति, एच.एस कोड विनियम

  घ) सैनेटरी और फाइटोसैनिट्री (एसपीएस) उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), यदि कोई हो

- इंसेंटिव्स और लाभ: वित्तीय इंसेंटिव्स , वेयरहाउसिंग सुविधाओं , टैरिफ संबंधित लाभ आदि सहित लक्षित देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के एफटीपी और भारत में उपलब्ध उल्लिखित योजनाओं, नीतियों और इंसेंटिव्स का अध्ययन करें।

- द्विपक्षीय व्यवस्थाएं और व्यापार सुविधाएं: भारत के लिए सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता (जीएसपी) योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें और यदि इसी प्रकार की योजना को प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा भी प्रस्तावित किया जा रहा है तो निर्धारित उत्पादों के संदर्भ में एफटीए , सीईसीए/सीईपीए का विश्लेषण करें और व्यापार के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लाभ को समझें।

- व्यापार संवर्धन के लिए चैनल और संघ: निम्नलिखित सहित उपलब्ध बाज़ार आसूचना का विश्लेषण और अध्ययन करें:

  क) सक्रिय चेम्बर और व्यापार संघ
  ख) उत्पाद श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापार डेटाबेस
  ग) प्रमुख व्यापार पत्रिकाएं/ व्यापार प्रकाशन
  घ) उत्पाद श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापार पोर्टल
  ङ) रिटेल स्टोर्स / डिपार्टमेंटल स्टोर्स का विवरण
  च) उत्पाद श्रेणी से संबंधित विदेशी आयातकों का विवरण
  छ) व्यापार मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्पाद का विवरण
  ज) व्यापार मेले भागीदार परामर्श बोर्ड और मेला प्राधिकारी

- निर्यात और जुड़ाव विकसित करने के लिए कार्य योजना: भारत और वैश्विक लक्षित देशों के कृषि उत्पादों के निर्यात में व्यापार विकास और विकास के लिए एक कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना का सुझाव दिया जाएगा।

1. विभिन्न गतिविधियों में एमआईसी की सहायता से एपीडा में दो ऑनसाइट परामर्शदाता का परिनियोजन:
   i. पूर्णकालिक आधार पर एपीडा मुख्यालय , दिल्ली में अपेक्षित अनुभव (जैसा कि अगले अनुच्छेद में उल्लेखित है) के साथ दो सलाहकार उपलब्ध किया जाए। एक सलाहकार एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए और दूसरा डेटा सेट को संभालने के लिए।
   ii. सलाहकार द्वारा अपनी परामर्श फर्म टीम से प्राप्त जानकारी और अपने स्वयं के शोध के आधार पर , दैनिक रूप से कार्यवाई योग्य गतिशील बाज़ार आसूचना जानकारी बनाई जाएगी।

iii. ऑनसाइट सलाहकार द्वारा दैनिक आधार पर एपीडा एमआईसी सेल द्वारा नियत की गई रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।

iv. सलाहकार द्वारा दैनिक आधार पर एपीडा एमआईसी सेल द्वारा नियत की गई रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।

v. साप्ताहिक बुलेटिन तैयार करना और उसे प्रमुख हिताधारकों के बीच वितरित करना|

vi. विभिन्न इनिशिएटिव्स और डाटा/रिपोर्ट जेनरेट करने में एमआईसी को परामर्श देना।

vii. विभिन्न कमोडिटीज़/प्रचलन/ देशों आदि का डेटा विश्लेषण।

viii. प्रमुख अनुभवियों की अपेक्षित आवश्यकता।

क्र.सं.	**संसाधन प्रकार**	**अपेक्षित शैक्षिक योग्यता**	**अपेक्षित न्यूनतम अनुभव**	**एपीडा में प्रमुख वितरण योग्य**
1	सलाहकार (खाद्य और कृषि व्यापार)	अर्थशास्त्र/कृषि ई/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए/पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरे सलाहकार के लिए आवश्यक डेटा प्रबंधन और सांख्यिकी का उत्तम ज्ञान।	5-7 वर्ष	एपीडा द्वारा अपेक्षित मांग/ आपूर्ति/ मार्केट डॉयनामिक्स/ एसपीएस एवं टीबीटी प्रभाव/ प्रमुख उत्पादों और बाज़ारों का व्यापार विश्लेषण और विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को तैयार करना। साप्ताहिक बुलेटिन को तैयार और सुनिश्चित करना।

- ऑनसाइट सलाहकार, कार्य के क्षेत्र में उल्लिखित गतिविधियों के लिए इंस्टॉलेशन उपकरण के साथ अपने लैप्टॉप लाएं।
- श्रमशक्ति को उपरोक्त न्यूनतम योग्यता और अनुभव के अनुसार कार्यरत किया जाए।
- यदि किसी व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो एपीडा के पास श्रमशक्ति को बदलने का अधिकार है।
- इस स्थिति में एपीडा द्वारा सलाहकार को बदलने का अनुमोदन किया जाएगा।

- ऑनसाइट सलाहकार द्वारा कार्य करने में सक्षम न होने पर या उसके अप्रत्याशित रूप से देर होने पर परामर्श फर्म द्वारा उपयुक्त विशेषज्ञ को भेजने का कार्य किया जाएगा।
- तकनीकी प्रस्ताव में सलाहकार का विस्तृत बायोडाटा संलग्न किया जाए।

कार्य पूरा होने पर प्रस्तावित अनुसूची

आरंभ में अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। वार्षिक आधर पर संतोषजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, इस अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

18. तकनीकी बोली की आवश्यकताएं

तकनीकी बोली में शामिल हैं:

क) इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड को सत्यापित करने वाले सभी सहायक दस्तावेज़।

ख) एपीडा की आवश्यकताओं को समझने के लिए एक अवधारणा टिप्पणी।

ग) प्रस्तावित कार्यप्रणाली जिसमें कार्य योजना , महत्वपूर्ण उपलब्धियां आदि शामिल हों

घ) कार्यरत की जाने वाली टीम की प्रोफाइल।

ङ) कोई भी अन्य जानकारी जिसे प्रोजेक्ट हेतु रूचि के लिए विचार में लाया जा सकता है।

19.वाणिजियिक बोली की आवश्यकताएं:

क) परामर्श फर्म द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में व्यवसायिक बोली को प्रस्तुत किया जाए:

क्र.सं.	**गतिविधि**	**अवधि**	**एकमुश्त शुल्क (सभी प्रकार के करों सहित)**
1	निम्नलिखित वितरणयोग्य के लिए वार्षिक लागत:	वार्षिक	
	I. स्कोप में उल्लिखित सभी		

	मापदंडों के लिए रिपोर्ट जनरेशन की ओर अनुसंधान और विश्लेषणात्मक सेवाएं।		
	II. बाज़ार आसूचना सेल के दिन-प्रतिदिन के संचालन में एपीडा की सहायता करने के लिए आरएफपी में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता के साथ एपीडा में एक ऑनसाइट कार्यरत सलाहकार।		

टिप्पणी:

परामर्श फर्म को रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसी भी तृतीय-पक्ष सदस्यता के लिए लागत शामिल करना आवश्यक है। एपीडा द्वारा उल्लिखित राशि (कुल राशि) के अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- आवश्यकता होने पर एपीडा द्वारा किसी भी बाहय स्थान (दिल्ली एनसीआर के बाहर) के लिए भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सलाहकार को एपीडा से पूर्व-अनुमोदन लेना होगा।

- ऑनसाइट सलाहकार, कार्य के लिए अपना लैप्टॉप , इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य उपकरण अपने साथ लाएं।

- निविदा में उल्लिखित वितरणयोग्य को व्यापक शोध , विश्लेषण और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी। अत: वितरणयोग्य वस्तुओं के लिए परामर्श फर्म के भीतर अनुभवियों के समूह की उपलब्धता और निष्ठा की आवश्यकता होगी । इसलिए परामर्श फर्म से अनुरोध किया जाता है कि वे ऑनसाइट सलाहकार के अतिरिक्त अपनी बैंक-ऑफिस टीमों की आवश्यक सेवाओं के लिए भी लागत लें।

- परामर्श फर्म द्वारा एपीडा प्रबंधन के साथ किसी भी प्रसार/चर्चा के लिए एक वरिष्ठ अनुभवी की नियुक्ति की जाए।

20. निष्पादन गारंटी

वार्षिक अनुबंध मूल्य के 5% के प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में एक सुरक्षा जमा पुरस्कृत अनुबंध में 1 महीने के भीतर एपीडा को सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अनुबंध के अनुसार बैंक गारंटी का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा।

21. कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स

सफल बोलीदाता को कॉपीराइट और बौद्धिक स्वामित्व के उद्देश्य के लिए एपीडा को पूरे डेटा/ जानकारी/ रिपोर्टें/ डेटाबेस देना होगा।

22. महत्वपूर्ण उपलब्धियां और भुगतान की शर्तें

एपीडा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

- तिमाही आधार पर, चालान प्रस्तुत करने और वितरणयोग्य की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

23. पुरस्कृत किया जाने वाला अनुबंध

एपीडा को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने/ अस्वीकार करने का अधिकार है , इसके अतिरिक्त एपीडा बोली के पूर्ण या भाग को स्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और पुरस्कृत अनुबंध से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24. पुरस्कृत अनुबंध की अधिसूचना

एपीडा द्वारा सफल बोलीदाता को कार्य के लिए पत्र या फैक्स के माध्यम से अधिसूचना दी जाएगी। बोलीदाता, लिखित रूप में कार्य आदेश को स्वीकार करेगा और कार्य आदेश की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर लिखित रूप में कार्य आदेश की स्वीकृति भेजेगा।

25. समझौते पर हस्ताक्षर

बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के आधार पर बोलीदाता और एपीडा स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की तिथि 15 दिनों के भीतर अनुबंध के अंतर्गत आ जाएंगे और अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले एपीडा को सफल बोलीदाता के साथ कुछ शर्तों पर बातचीत करने का अधिकार होगा।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही अनुबंध मिल जाएगा और अनुबंध में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन की शुरुआत की जाएगी।

26. अनुबंध हेतु व्यय

अनुबंध/ समझौते के निष्पादन के सभी आकस्मिक व्यय पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जएंगे और ऐसी राशि को एपीडा द्वारा सफल बोलीदाता को वापिस नहीं किया जाएगा।

27. अनुबंध का पालन करने में विफलता

अनुबंध में निर्धारित की गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए और बोली दस्तावेज़ एवं अनुबंध के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना किसी शर्त के एपीडा के अधिकारों के आधार पर अनुबंध को रद्द कर दिया जाएगा।

आरएफपी दस्तावेज़, बोली अनुबंध या समझौते में रखी गई शर्तों और नियमों का पालन करने में विफलता के फलस्वरूप अनुबंध की समाप्ति के मामले में , बैंक गारंटी को ज़ब्त कर लिया जाएगा।

28. अनुबंध की समाप्ति

एपीडा द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के पक्षपात के बिना , कोई कारण बताए बिना, अनुबंध को पूर्णत: समाप्त किया जा सकता है, यदि:

क) योग्य बोलीदाता अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल होता है।

ख) बोलीदाता द्वारा इस अनुबंध में प्रतिनिधित्व और दस्तावेज़ों से संबंधित सामग्री का उल्लंघन किया जाए।

ग) कोई भी विनिमायक आवश्यकता या अप्रत्याशित परिस्थितियां जो एपीडा को अनुबंध को निलंबित करने या रद्द करने से बाध्य करती हैं।

29. शासी कानून

भरतीय गणराज्य के कानून द्वारा आरएफपी दस्तावेज़ और अनुबंध को नियंत्रित किया जाएगा।

30. तकनीकी लिफाफा 1 की विषय सूची (तकनीकी बोली)

क) लेटर हेड पर बोली आवेदन
ख) प्रस्तुति जांच सूची
ग) आरएफपी दस्तावेज़ों में उल्लिखित नियमों और शर्तों की स्वीकृति के संबंध में उत्तरदायित्व पत्र
घ) तकनीकी प्रस्ताव

31. बोली प्रमाणीकरण

बोलीदाता को अनुबंध से जोड़ने के लिए बोली दस्तावेज़ की मूल और सभी प्रतियों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अधिकृत रूप से सील और हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऑथेंटिकेशन पत्र के साथ बोली दस्तावेज़ सहित विधिवत रूप से स्टैम्प की गई पॉवर ऑफ एटॉर्नी को संलग्न किया जाएगा। बोली दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति बोली दस्तावेज़ के सभी पन्नों को शुरु करेंगे , जिसमें वे पृष्ठ भी शामिल हैं जहां प्रविष्टियां या संशोधन किए गए हैं।

32. बोली के अंतर्विरोधों की मान्यता

कोई अंत: विषय, विलोपन, परिवर्तन, परिवर्धन या अधिलेख केवल तभी मान्य होगा यदि बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों ने हस्ताक्षर और स्टैम्प के साथ प्रमाणिकता प्राप्त की हो।

33. बोली की मुहरबंदी और अंकन

तकनीकी बोली की प्रत्येक प्रति को स्पष्ट रूप से “तकनीकी बोली” चिन्हित लाह बंद लिफाफे 1 में रखा जाए। व्यवसायिक बोली को स्पष्ट रूप से “व्यवसायिक बोली , चिन्हित लाह बंद लिफाफे 2 में, तकनीकी बोली के साथ न खोलें” चिन्हित कर पृथक लाह बंद लिफाफे में रखा जाए। इसके बाद इन दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे के अंदर रखा जाए जिस पर “एपीडा हेतु बाज़ार आसूचना सेल की स्थापना” चिन्हित कर लाह बंद किया जाए।

34. बोली प्रस्तुति करने हेतु पता

सभी प्रकार से पूर्ण बोलियों को **07 मार्च, 2023** तक निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किया जाए:

डॉ. तरुण बजाज, निदेशक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, हौज खास,
नई दिल्ली - 110016 (भारत)

बोली के उत्तरदायित्व

यदि बाहरी लिफाफे को आवश्यक रूप से सील और चिन्हित नहीं किया जाता है, तो बोली के खो जाने या समय से पहले खो जाने की कोई ज़िम्मेदारी एपीडा द्वारा नहीं ली जाएगी।

35. बोली की अस्वीकृति

बोली दस्तावेज़ मुद्रित दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया जाए। टैलेक्स , फैक्स या ई-मेल द्वारा सब्मिट की गई बोलियों पर्र विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई भी स्थिति जहां बोलीदाता द्वारा बोलियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता वहां इस प्रकार की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएग।

36. विलंबित बोली

एपीडा द्वारा विलंबित बोलियों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त की गई बोलियों को एपीडा द्वारा सरसरे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। एपीडा किसी भी डाक देरी या दस्तावेज़ की गैर-रसीद / गैर डिलीवरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

37. मूल्यांकन के लिए विचार में न लाई गई बोलियां

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान खारिज की गई बोलियों को किसी भी परिस्थिति में आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

38. व्यवसायिक बोलियों का आरंभ

व्यवसायिक बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन के बाद खोला जाएगा। व्यवसायिक बोली को खोलने समय एपीडा द्वारा बोलीदाता का नाम , बोली का मूल्य , प्रत्येक बोली की कुल राशि आदि की घोषणा की जाएगी।

वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान के बारे में अलग से सूचीबद्ध बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

39. बोलियों का स्पष्टीकरण

बोली के मूल्यांकन, तुलना और परीक्षण में सहायता करने के लिए , एपीडा अपने विवेकाधिकार पर बोलीदाता से दरों के अलग-अलग आंकड़ों सहित बोली के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न कर सकता है। यदि अनुरोध में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलता है, तो एपीडा बोलीदाता के कुल जोखिम और लागत पर अपनी उचित धारणा बनाने का अधिकार रखता है।

40. बोलियों की पूर्णता

क. एपीडा द्वारा यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या वे आरएफपी दस्तावेज़ और तकनीकी विशिष्टताओं की सभी शर्तों को पूरा कर रही हैं , क्या कोई कंप्यूटेशनल त्रुटियां की गई हैं , क्या आवश्यक निश्चितताओं को सुसज्जित किया गया है , क्या दस्तावेज़ों को ठीक से हस्ताक्षरित किया गया है या नहीं क्या बोली दस्तावेज़ आरएफपी दस्तावेज की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं।

ख. बोली का अंतिम चयन तकनीकी योग्यता और वित्तीय बोलियों के संयोजन के आधार पर होगा।

41. त्रुटियों का सुधार

निम्नलिखित आधार पर अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाएगा:

यदि शब्दों और आंकड़ों में दरों के बीच विसंगति है तो शब्दों में लिखित दर को सही माना जाएगा।

42. अप्रत्याशित घटना

क) इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान यदि किसी भी समय इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व को पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन को किसी भी युद्ध , शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कृत्य, नागरिक हंगामा, हमले, तालाबंदी, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंधों के कार्य के कारणों (इसके बाद के घटनाक्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है) से रोका या विलंबित किया जाता है तो ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की सूचना बोलीदाता द्वारा एपीडा को घटना की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर दी जाए। इस अनुबंध के अंतर्गत इस तरह की घटना के कारणों से न तो पार्टी इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी और न ही ऐसे गैर-प्रदर्शन के संबंध में क्षतिपूर्ति या प्रदर्शन में देरी के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

ख) बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के अंतर्गत बोली लगाने वाले या किसी भी दायित्व के द्वारा पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन को रोका जाता है और इस प्रकार का विलम्ब यदि 30 (तीस) दिनों से अधिक की अवधि लेता है तो एपीडा द्वारा लिखित में सूचना के ज़रिए इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

43. विवाद समाधान

विवाद समाधान तंत्र निम्नानुसार होगा:

क) एपीडा और सफल बोली लगाने वाले के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, यदि इसका समाधान नहीं किया जाता है , तो इसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निर्णय / मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

ख) यदि ऐसा विवाद उत्पन्न होता है , तो या तो पक्ष अन्य पक्ष को इस तरह के विवाद के बारे में लिखित रूप से नोटिस दे सकता है और भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थ के निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

ग) अध्यक्ष एपीडा एक मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत अधिकारी नियुक्त करेगा।

घ) मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों अर्थात् एपीडा और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

ङ) जहां तक कानूनी और अदालती मामलों का संबंध है , सभी अनसुलझे विवादित मामलों में नई दिल्ली का क्षेत्राधिकार होगा।

***